राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
321 / 2020	29.12.2020	28.05.2024

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामानन्द जाति अहीर निवासी ग्राम माजरी कलां तह0 नीमराना।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

पैरोकार सरकार – वादी

श्री राजेन्द्रसिंह– प्रतिवादी स्वयं

–::निर्णय::–

दिनांक :– 28.05.2024

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय आदेश पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित आए। दी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख.नं. 1460 / 1988 / 0.26 हैक्टेयर किस्म ानी राजस्व ग्राम माजरीकलां तह0नीमराना मे स्थित होकर उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है ो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी संवत 2073–76) मे प्रतिवादी के नाम से दर्ज है,जिसकी ीनतम प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। पटवारी हल्का माजरीकलां द्वारा दिनांक 23.09.2020 ो इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त वर्णित ख.नं. 1460 / 1988 / 0.26 हैक्टेयर मे 0.26 हैक्टेयर भूमि पर प्लाटिंग कर उक्त भूमि को अकृषि के उपयोग मे ली जारही है जिस ु प्रतिवादी ने कृषि भूमि को संपरिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नही कर रखा है तथा के पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नही है। पटवारी रिपोर्ट एवं नकल नक्शा ा संलग्न है। राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि मे कृषि करने का ही धिकार प्रदान किया गया है जबकि प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन बिना म अधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा देखी मे अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का रूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य मे कृषि संबधी उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा थ ही अवैध कॉलोनियों की स्थापना हो जायेगी जो भविष्य मे क्षेत्र के विकास मे बाधक ी आदि आदि अंकित करते हुए वादपत्र अंतर्गत धारा 177 राज0काश्त0अधिनियम 1955 स्तुत करते हुए प्रतिवादी के 1460 / 1988 / 0.26 हैक्टेयर वाके ग्राम माजरीकलां तह0 राना मे से 0.26 हैक्टेयर रकबे पर बिना किस्म परिर्वतन आदेश के अवैध प्लाटिंग की हुई इसलिए उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर बाद विधिवत तलबी हाजिर अदालत आया एवं अपना जवाब दावा पेश किया गया। जवाब दावा दिलाई गई। मुताबिक प्रस्तुत जवाब दावा का सारतः रहा कि जिम्मन नं. 1 है जो ख.नं. एवं विवादित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ के बाबत होकर स्वीकार है एवं वाद जिम्मन नं. 4 आंशिक रूप से स्वीकार है अंकित करते हुए हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23. 2020 को पेश की गई रिपोर्ट खिलाफ मौका गलत पेश की गई है उक्त आराजी के कुल बे मे से मात्र 20एयर रकबा पर ही लघु उद्योग का निर्माण किया हुआ है तथा शेष हिस्सा हेतु ही उपयोग उपभोग मे लिया जा रहा है तथा वर्तमान मे भी शेष हिस्सा काश्त हेतु योग मे लिया जा रहा है। दिनांक 07.02.2001 को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक मे

...ये महत्वपूर्ण निर्णय मे स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र मे लघु ...गों को बढ़ावा देने के लिए काश्तकारों को इस हेतु प्रोत्साहित करने हेतु उनकी स्वयं की ...कृषि मे से 1000 वर्गमीटर भूमि को उपयोग करने पर रूपान्तरण की आवश्यकता नही ...तथा ऐसे उद्योग लगाने के लिए कृषि से अकृषि कार्य के लिए किसी स्वीकृति की ...श्यकता नही होगी उक्त निर्णय के संदर्भ मे कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला ...स्ट्रेट,अलवर के पत्र कमांक/ ए.डी.एम.(प्रथम)/पी.ए./2001/551 दिनांक 05.03.2001 ...प्रति संलग्न है तथा उक्त निर्णय के बाद माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र ...प-6(5) राज-6/2001/32 जयपुर दिनांक 28.05.2002 द्वारा एक आदेश जारी किया ...कि राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए ...वर्तन नियम 199 के नियम 5क मे की अभिव्यक्ति 1000 वर्गमीटर के स्थान पर ...व्यक्ति 2500 वर्गमीटर प्रतिस्थापित की जावेगी। इसलिए मिन प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेशों ...अनुपालना मे ही अपनी उक्त आराजी मे कुछ हिस्से पर ही लघु उद्योग लगाया हुआ है ...– आदि अंकित करते हुए प्रतिवादी का जवाब स्वीकार किया जाकर वादी के वादपत्र ...हर्जा-खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

...वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद मे पटवारी हल्का माजरीकलां द्वारा मौका जाच ...वाके ग्राम माजरीकलां दिनांक 23.09.2020 पेश किया जो शामिल पत्रावली है एवं ...दिये जाने उपरान्त कोई मौखिक साक्ष्य स्वरूप वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत ...किये गये।

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा की ताईद मे दस्तावेजात स्वरूप राजस्थान सरकार के ...क्रमांक प0 9(78)राज6/2007/12 जयपुर दिनांक 03.10.2017 एवं कार्यालय जिला ...टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,अलवर के पत्र कमांक/ ए.डी.एम.(प्रथम)/पी.ए./2001/551 ...क 05.03.2001 की प्रति,उक्त निर्णय के बाद माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार द्वारा ...क्रमांक प-6(5) राज-6/2001/32 जयपुर दिनांक 28.05.2002 की छायाप्रतियां पेश की ...संलग्न पत्रावली है।

...उभयपक्षकारान की प्रकरण के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी/ पैरोकार ...ने वाद पत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए मुताबिक पटवारी हल्का माजरी कलां की ...जाच रिपोर्ट वाके ग्राम माजरीकलां दिनांक 23.09.2020 के विवादित आराजी के रकबा ...हैक्टेयर पर बिना किस्म परिवर्तन आदेश के भूमि पर प्लाटिंग कर भूमि का अकृषि ...मे लिये जाने की स्थिति मे वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाकर उक्त भूमि ...राजकीय भूमि / सिवायचक घोषित किये जाने का अभिकथन किया।

ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी ने वादी के वादपत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए ...जवाब दावा के जिम्मनों को दोहराते हुए दौराने बहस अभिकथन किया कि उक्त ...कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित है तथा वादी ने अपने वादपत्र मे उक्त विवादित ...के संपूर्ण रकबा 0.26 हैक्टेयर पर प्लाटिंग कर अकृषि के उपयोग मे मुताबिक पटवारी ...माजरी कलां की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.09.2020 के अनुसार ही प्रकरण प्रस्तुत किया ...अपने वादपत्र मे अंकित किया है जबकि वादी द्वारा प्राप्त पटवारी हल्का माजरी कलां ...प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार हल्का पटवारी ने विवादित आराजीयात 0.26 हैक्टेयर कुल ...पत्थर फैक्ट्री का निर्माण कर वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजन के रूप मे बिना ...कराये मौके पर राजेन्द्र सिंह पुत्र रामानन्द जाति अहीर निवासी माजरी कलां द्वारा ...किया जाना अंकित कर पेश किया है इस प्रकार से मौके रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं ...वादपत्र दोनों ही अपने आप मे विरोधाभाषी है जबकि मुझ जवाब प्रस्तुतकर्ता/ ...द्वारा विवादित आराजी मे से मात्र 0.20 हैक्टेयर रकबा पर ही लघु उद्योग का निर्माण ...है तथा शेष हिस्सा कृषि हेतु उपयोग उपभोग मे लिया जा रहा है तथा लघु उद्योग ...राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प0 9 (78) राज6/2007/12 जयपुर दिनांक ...2017 के अनुसार संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 6 मे यह प्रावधान है कि इन नियमों ...किसी बात के होन पर भी, संपरिवर्तन के लिए कोई भी अनुज्ञा वहा अपेक्षित नही ...कोई खातेदार अभिधारी अपनी खातेदारी भूमि पर 01 एकड़ से अनधिक क्षेत्र पर ...लघु उद्योग इकाई,कजावा(छोटा ईंट-भट्टा) की स्थापना करना चाहता है अथवा ...चिकित्सा सुविधा या लोकोपयोगी प्रयोजन हेतु उपयोग करना चाहता है इस प्रकार ...ली गई भूमि उसकी खातेदारी मे बनी रहेगी आदि – आदि का अंकन किया हुआ है

परिपत्र की छायाप्रति संलग्न है एवं कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,अलवर के पत्र क्रमांक/ ए.डी.एम.(प्रथम)/पी.ए./2001/551 दिनांक 05.03.2001 की प्रति,उक्त निर्णय के बाद माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प–6(5) राज–6/2001/32 जयपुर दिनांक 28.05.2002 की छायाप्रतियां भी पेश की है जो शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक भी ग्रामीण क्षेत्रों मे लघु उद्योग को बढ़ावा एवं काश्तकारों को इस हेतु प्रोत्साहित करने हेतु उपयोग करने पर रूपान्तरण की आवश्यकता नही होगी तथा ऐसे उद्योग लगाने के लिए भी अकृषि कार्य के लिए किसी स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी आदि–आदि का अभिकथन करते हुए प्रस्तुत नजीरात के आधार पर मुझ उत्तरदाता / प्रतिवादी का जवाब स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरात राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प0 9 (78) राज6/2007/12 जयपुर दिनांक 03.10.2017 एवं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,अलवर के पत्र क्रमांक/ ए.डी.एम.(प्रथम)/पी.ए./2001/551 दिनांक 05.03.2001 तथा माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प–6(5) राज–6/2001/32 जयपुर दिनांक 28.05.2002 की प्राप्त छायाप्रतिया उक्त तीनों की नजीरात प्रतिवादी के जवाब दावे के बाबत पूर्ण रूप से चस्पा पाई जाने की स्थिति मे उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा वाद को सुसंगत ढंग से साबित नही कर पाने की स्थिति मे यह न्यायालय वादी के वाद को अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा वाद पूर्णरूप से साबित नही किये जाने की स्थिति मे अस्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी का हाल आराजी ख.नं. 1460/1988/0.26 हैक्टेयर किस्म बारानी राजस्व ग्राम माजरीकलां तह0नीमराना के बाबत के वाद को खारीज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28.5.2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या
321/2020

रजू दिनांक
29.12.2020

पर्चा डिक्री दिनांक
28.05.2024

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

बनाम

वादी

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामानन्द जाति अहीर निवासी ग्राम माजरी कलां तह0 नीमराना।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:पर्चा डिक्री:–

वादी की ओर से पैरोकार सरकार व प्रतिवादी की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 28.05.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि:–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा वाद पूर्णरुप से साबित नही किये जाने की स्थिति मे अस्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी का आराजी ख.नं. 1460/1988/0.26 हैक्टेयर किस्म बारानी राजस्व ग्राम माजरीकलां तह0नीमराना के बाबत के वाद को खारीज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

28.05.24

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)